अनुमण्डलीय न्यायालय, डुमरॉव, जिला–बक्सर

टी0एस0 सं0–349 / 2012

05.06.2024

उभय पक्ष की पैरवी है। प्रस्तुत वाद वादी की तरफ से शपथ पत्र के साथ दाखित संशोधन आवेदन दिनांक–19.01.2024 अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 एवं 151 सी0पी0सी0 एवं उक्त आवेदन के आलोक में प्रतिवादी द्वारा दाखिल प्रतिउत्तर दिनांक–09.04.2024 पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के सुनवाई के उपरान्त आदेश हेतु नियत है।

आदेश

वाद पुकार पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवकता न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। वाद सुनवाई के दौरान वादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि वर्तमान मुकदमा बंटवारा का है जिसके साक्ष्य के तैयारी के क्रम में अर्जी अवलोकन से स्पष्ट हुआ है कि कुछ एराजी टाईपिस्ट की गलती से प्रतिवादी नंबर 2 का सल्फ एक्वायर्ड प्रोपर्टी था जिसके निस्वत उनके द्वारा निबंधित दस्तावेज भी लिखा जा चुका है वह भी दर्ज हो गया है। जबकि वह बंटवारा का विषय नहीं है। अतः उसे कलमजद करना न्यायहित में जरूरी है। अतः न्यायहित में निवेदन है कि आवेदन में वर्णित अर्जी मरम्मत का आदेश दिया जाए। अर्जी के जमीमा नंबर 2 में मौजा टूड़ीगंज की एराजी खाता 103 प्लाट 1023 में रकबा 1 कट्ठा 8 धुर 15 धुरकी क्रमशः कलमजद होगा।

प्रतिवादी के तरफ से दाखल प्रतिउत्तर पर सुनवाई के दौरान उनके विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि वादी का आवेदन कानूनन मेंटेनेबुल नहीं है। वादी का आवेदन तथ्य तथ्य एवं कानूनन पोषणीय नहीं है। वादी का आवेदन विलेटेड आफटर थॉट है। वादी का अर्जी सुधार का आवेदन जिस रूप से दाखिल किया गया है वह मेंटनेबुल नहीं है। वादी के द्वारा अर्जी सुधार आवेदन को स्वीकृत किया जाता है तो प्रतिवादी द्वारा दाखिल बयान तहरीरी निस्प्रभावी हो जाएगा। जिस खाता प्लॉट के दर्ज एराजी को हटाना चाहते हैं वह संपत्ति प्रतिवादी सं0–2 महेन्द्र प्रसाद वर्मा की सेप्फ एक्वायर्ड संपत्ति नहीं है बल्कि फरीकैन के इजमाइल आमदनी के इजमाइल फण्ड से दाखिल एराजी है एवं फरीकैन का इजमालन दखल कब्जा कायम है एवं उनके द्वारा कथित निबंधित दस्तावेज की बात कही जाती है उसका सही–सही जानकारी मुदालय को नहीं है। अतः वादी के संशोधन आवेदन को खारिज करने की प्रार्थना करते हैं।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद वादी के द्वारा दाखिल अर्जी मरम्मत आवेदन महज औपचारिक एवं फॉर्मल नेचर का है इससे वाद की प्रकृति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता प्रतीत नहीं होता है। अतः न्यायहित में वादी के संशोधन आवेदन दिनांक–19.01.2024 को मो0 1000/–रू0 खर्चा पर स्वीकृत किया जाता है। वादी के अधिवक्ता को निर्देशित किया जाता है कि समय–सीमा के अंदर अर्जी में संशोधन करें। प्रतिवादी को यह अवसर है कि यदि वह चाहे तो अतिरिक्त बयान तहरीरी दाखिल कर सकते हैं।

दिनांक– ..... वास्ते अग्रिम कार्यवाही।

लेखापित

सब जज–तृतीय